Research Papers

राजव्यवस्था में दूत एवं गुप्तचरों का महत्व

मोहनलाल मेघवाल
व्याख्याता संस्कृत , रा.स्ना. महाविद्यालय प्रतापगढ़ (राज.)

प्रस्तावना :

किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था और सैन्य संगठन को सुदृढ़ बनाने में दूत या गुप्तचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजदूत, संधिदूत, निसृष्टार्थ दूत, मितार्थ दूत तथा शासन–हारक नाम से पाँच प्रकार के दूत होते है। इन्हें सम्मानपूर्वक विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अन्यत्र भेजा जाता है। अग्निपुराण में तीन दूतो का उल्लेख है।[1] किन्तु पड़ोसी या मित्र एवं शत्रु राजाओं की विभिन्न गतिविधियों, गुप्त सूचनाओं की प्राप्ति तथा आन्तरिक कूटनीतिक रहस्यपूर्ण बातों की जानकारी हेतु चर या गुप्तचर को नियुक्त किया जाता है। इन्हें 'अप्रकाशदूत' भी कहा जाता है। ये चर या गुप्तचर छद्मवेश धारण कर यथा–गृहपति, वणिक् मुण्डित या जटाधारी, तपस्वी ब्राह्मण, भिक्षुक, शिक्षक आदि के रूप में रहकर आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कराते है।[2] ऋग्वेद में अग्निदेव के दूत कार्य का उल्लेख प्राप्त होता है।[3]

दूत की योग्यताएँ :–

प्राचीन भारतीय साहित्य में, यथा पुराण, स्मृति ग्रन्थों में दूत के आवश्यक गुण और योग्यता की चर्चाए प्राप्त होती है। मनु स्मृति में दूत को कूटनीतिज्ञ मानते हुए चरों एवं गुप्तचरों तथा दूतो पर विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। आचार्य शुक्र प्रजा एवं शत्रु वर्ग के व्यवहार को जानने की कुशलता एवं यथार्थ बातों को राजा को उसी रूप में बताने की क्षमतायुक्त होना दूत के लिए आवश्यक मानते है।[4]

अग्निपुराणकार के मतानुसार सभा में निर्भय होकर बोलने वाले, अच्छी याद्दाश्त शक्तिसम्पन्न, कुशल वक्तृत्व शक्तिसम्पन्न, शस्त्र एंव शास्त्र दोनो में निष्णात तथा अन्यान्य दूतोचित गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को दूत बनाया जाना चाहिए।[5]

मत्स्यपुराण में कहा गया है कि जो सत्यवादी, देशीभाषा में प्रवीण, सामर्थ्यशाली, सहिष्णु, वक्ता, देशकाल के विभाग का ज्ञाता तथा समय पर राजा को नीति की बातें कहने वाला हो, उसे राजा का दूत होना चाहिए। मत्स्यपुराणकार ने दूत के गुणों में सिर्फ देशी भाषा का ज्ञाता होना कहा है, पर दूत को विदेशी भाषा का भी ज्ञाता होना चाहिए, तभी तो वह विदेश में जाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर विदेशी भाषा ज्ञान होने पर गुप्तचर की तरह भी कार्य कर सकता है।[6]

आचार्य कामंदक का कहना है कि दूत रूपी नेत्रवाला राजा सोता हुआ भी जागता रहता है।[7]

दूत भेद :–

अग्निपुराण में तीन दूतों का वर्णन प्राप्त होता है –

1) *निसृष्टार्थ दूत* :–

वह दूत जिसको दूसरे राष्ट्र से संधि विग्रह, आसन एवं अन्य राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का सम्पूर्ण दायित्व दिया जाता है, इन्हें स्थायी दूत भी कह सकते है।

2) *मितार्थ दूत :–*

ऐसे दूत जिन्हें सीमित कार्य ही दिये जाते है। कितना कार्य करना है, कितना बोलना है या कितनी जानकारी लेकर आना है, इस विषय में पहले से ही निर्देश दे दिया जाता है। ऐसे दूतों को परिस्थिति और आवश्यकतानुसार कार्य में लगाया जाता है। परिस्थिति और आवश्यकतानुसार कार्य करने के लिए इनका भी कुशाग्र और शीघ्र निर्णय बुद्धि सम्पन्न होना आवश्यक है। ''सुन्दरी के रूप में देवी दुर्गा को देखकर उन्हें प्राप्त करने हेतु शुम्भ–निशुम्भ ने पर्वत पर एक दूत को बुलाने के लिए भेजा था।''[8]

3) *शासनहारक दूत :–*

ऐसे दूत मात्र संदेशवाहक का कार्य करते थे। शासक के निर्देशानुसार जितना कहा जाय उतना ही संदेश एक राजा से दूसरे राजा तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते है।

4) *शान्तिदूत :–*

जिन्हें सन्धि करने या आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न करने या युद्ध से पहले सामान्य स्थिति बनाने के लिए भेजा जाता है। इन्हें शान्तिदूत भी कह सकते है। इनके प्रयास विफल होने पर संधि का प्रयास छोड़कर विग्रह की तैयारी शुरू हो जाती है।

प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में ऐसे शान्तिदूतों का उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत काल में श्रीकृष्ण कौरवों और पाण्डवों में शान्ति स्थापित करने और युद्ध टालने हेतु पाण्डवों की ओर से शान्तिदूत बनकर ही कौरव दरबार में गये थे।[9]

5) *राजदूत :–*

मित्र राजा आपसी सम्बन्धों को मजबूत और घनिष्ठ बनाए रखने हेतु अपने दूतों को एक दूसरे देश में नियुक्त कर देते है। इनसे आपसी समझ विकसित करने एवं परस्पर सहयोग मे मदद प्राप्त होती है।

वर्तमान समय में भी प्रत्येक देश की सरकार अपने देश का राजदूत दूसरे देश में नियुक्त करती है।

गुप्तचर :–

जब दूत अपने आगमन की सूचना के लिए पहले ही आगमन की अनुमति प्राप्त कर दूसरे देश की यात्रा करे तो उन्हें दूत कहा जाता है। परन्तु बिना अनुमति के भेष बदलकर कोई दूत किसी अन्य राजा की व्यक्तिगत, राजनैतिक, कूटनीतिक, गुप्तनीति, आर्थिक मामलों आदि की जानकारी लेकर गुप्त रूप से वापस लौट आए या गुप्त रूप से शत्रु राष्ट्र में निवास करें तो उसे 'चर' या 'गुप्तचर' कहा जाता है। ऐसे दूतों को 'अप्रकाशदूत' भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शासनकाल की जानकारी के लिए एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में भेजा था।[10]

दूत के गुण और कार्य :–

दूत को सन्देह से बचने के लिए अपने आगमन की सूचना देकर ही शत्रु के दरबार में जाना चाहिए। दूत को धैर्यवान, समय और परिस्थिति को देखकर व्यवहारकर्ता, शत्रु राजा से संवाद के समय पूर्णतः सतर्क रहने वाला, शत्रु राजा की दुर्बलताओं, उसके कोष, सैन्यशक्ति एवं मित्र व शत्रु को जानने की चेष्टा रखने वाला, शत्रु राजा एवं उसके अमात्य की दृष्टियॉ, वचनो, चेष्टाओं के प्रति भी सजग रहने वाला होना चाहिए।

संधि दूत के रूप में जाने पर दूत को दोनो पक्ष के कूलों एवं कुल परम्पराओं की, राजा के नाम, यश, धन, ऐश्वर्य की तथा तत्कृत उत्तम कर्मो की प्रशंसा करनी चाहिए। सम्मानपूर्ण परम्परानुसार शत्रु राजा से एवं अमात्य संसद में जाकर उचित निर्देशानुसार संधि, शान्तिवार्ता करते हुए संदेश कहना चाहिए।

दूत के प्रति व्यवहार के नियम :–

प्राचीन ग्रन्थों में दूतों के प्रति अच्छे बर्ताव के निर्देश और प्रमाण मिलते है। वर्तमान समय में भी विभिन्न राष्ट्रों में नियुक्त राजदूतों को वहॉ की सरकार चाहे तो आसानी से मौत दे सकती है। किन्तु ऐसा होता नही है, क्योंकि प्राचीन काल से ही दूत को अवध्य माना गया है। दूतवध को सभी पुराणग्रन्थों में निन्दनीय माना गया है। महाभारत में दूतवध को निन्दनीय तथा रामायण में दूतवध को अनुचित कहा गया है।[11] मनु ने दूत के कार्यो की प्रशंसा और सम्मान करते हुए उसे विभिन्न संकटो, कष्टों एवं दण्ड सहन के लिए तत्पर रहने का संकेत दिया है।[12]

प्राचीन काल में किसी कार्य हेतु दूत की नियुक्ति में उसके चातुर्य, दक्षता के साथ–साथ उसके बल को भी महत्व दिया जाता था।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त स्पष्ट है कि शासन व्यवस्था के सफल संचालन, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थायी और मजबूत बनाने रखने एवं सैन्य संगठन को सुदृढ़ बनाने, युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत बनाने इत्यादि कार्यो को करने में विभिन्न प्रकार के चरों, दूतों एंव राजदूतों की भूमिका प्राचीनकाल से लेकर अद्यावधि तक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है।

सन्दर्भ सूची–:

1. निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा शासन हारकः।
   सामर्थ्यात् पादतो हीनो दूतस्तु त्रिविध स्मृतः।।
   अग्निपुराण 241/8
2. नाविज्ञातं पुरं शत्रोः प्रविशेच्च न संसदम्।
   चरः प्रकाशो दूतः स्यादप्रकाशश्चरो द्विधा।
   वणिक् कृषीबलो, लिंगीभिक्षुकाघालकाश्चराः।।
   अ.पु. 241/9–12
3. अग्नि दूतं वृषीमहे होतारं विश्ववेधसं अस्य यज्ञस्य सुकृतम्।।
   ऋग्वेद
4. शत्रु – प्रजा – भृत्यवृतं विज्ञातुं कुशलाश्च ये।
   ते गूढ़चाराः कर्तव्या यथार्थश्रुतबोधकाः।।
   शु.नी. 2/189
5. प्रगल्भः स्मृतिमान्वाग्मी शस्त्रे शास्त्रे च निष्ठितः।
   अभ्यस्तकर्मा नृपतेर्दूतो भवितुमर्हति।।
   अ.पु. 241/7
6. यथोक्तवादी दूतः स्याद् देश भाषा विशारदः।
   शक्तः क्लेशसहावाग्मी देशकाल विभागवित।।
   विज्ञातदेशकालश्च दूतः स स्यान्महीक्षितः।
   वक्ता नयस्य यः काले स दूतो नृपतेभवेत।।
   म.पु. 215/12–13
7. चराः सकाशानृपतेश्चक्षुदूरतरं हिते।
   स्वन्नपि च जागर्ति चार चक्षुर्महीपतिः।।
   का.नी. 12/27
8. मार्क पु. दुर्गासप्त. 5/102
9. महाभारत
10. किरातार्जुनीयम्
11. साधुर्वा यदि वासाधुः पदैरेष समर्पितः।
    ब्रवन परार्थ परवान् न दूतो वधमर्हति।।
    वा.रा.सु.का. 52/21
12. दूत एव हि संधतेभिनत्येव च संहतान्।
    दूतस्तत् कुरूते कर्म भिघन्ते येन मानवाः।।
    मनुस्मृति 7/106